न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

पीठासीन अधिकारीः–सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–146 / 2024

प्रार्थीगणः–

1. खंगारा उर्फ खीमाराम पुत्र मानीया उर्फ मांगाराम जाति रबारी निवासी ग्राम मांगी तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. मंगला उर्फ पप्पूराम पुत्र मांगीया उर्फ मांगाराम जाति रबारी निवासी ग्राम मांगी तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :–

श्री जयप्रकाश रामदेव अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :–29.08.2025

प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 159 रकबा 04.5163 हैक्टेयर ग्राम मांगी तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थीगण के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पेनकार्ड, परिवार राशन कार्ड में आदि में प्रार्थी संख्या 1 वास्तविक नाम "खीमाराम पुत्र मांगाराम " व प्रार्थी संख्या 2 का वास्तविक नाम " पप्पूराम पुत्र मांगाराम " दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में फौतदगी का नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटिवश प्रार्थी संख्या 1 का नाम "खंगारा पुत्र मांगीया व प्रार्थी संख्या 2 का नाम "मांगला पुत्र मांगीया" लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र [illegible] दिनांक 25.07.2025 द्वारा प्रार्थीगण के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में त[illegible]क [illegible]र्ट प्रेषित की गई ।

प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र के समर्थन में [illegible] दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, परिवार राशनकार्ड, [illegible] आधार कार्ड, पेनकार्ड [illegible] प्रति पेश किया ।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:40:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी संख्या 1 का वास्तविक नाम ''खीमाराम पुत्र मांगाराम'' व प्रार्थी संख्या 2 का वास्तविक नाम''पप्पूराम पुत्र मांगाराम'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 159 रकबा 04.5163 हैक्टेयर ग्राम मांगी तहसील सिवाना में फौतदगी का नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी संख्या 1 का नाम ''खंगारा पुत्र मांगीया'' व प्रार्थी संख्या 2 का नाम ''मंगला पुत्र मांगीया'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, परिवार राशनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस ,जन आधार कार्ड, पेनकार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी संख्या 1 का नाम ''खीमाराम पुत्र मांगाराम'' व प्रतिवादी संख्या 2 का ''पप्पूराम पुत्र मांगाराम'' की तस्दीक होती है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का नाम ''खंगारा पुत्र मांगीया'' व प्रार्थी संख्या 2 का नाम ''मंगला पुत्र मांगीया'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मांगी तहसील सिवाना के खसरा संख्या संख्या 159 रकबा 04.5163 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी संख्या 1 का नाम ''खंगारा उर्फ खीमाराम पुत्र मांगाराम'' तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम '' मंगला उर्फ पप्पूराम पुत्र मांगाराम''दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 29.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:40:47 IST
Reason: SelfAttested